आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 12.09.2023 से 16.09.2023)

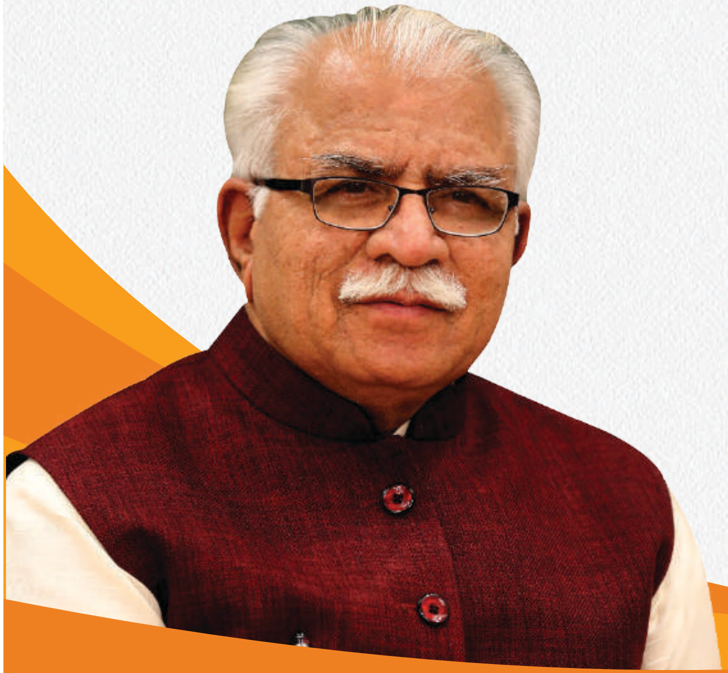

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

सोनीपत के गांव झिंझौली स्थित साधना केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम

(दिनांक 12.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज सोमवार देर सांय सोनीपत के गांव झिंझौली स्थित साधना केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। साथ ही सिंचाई प्रबंधन हेतु भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों को डीजल से मुक्ति दिलाने के लिए इस वर्ष किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 50 हजार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए। सरकार द्वारा अगले वर्ष भी 70 हजार किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी नई पहलों के माध्यम से भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने का कि सरकार द्वारा खेत में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अगर किसी बेसहारा पशु की टक्कर लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया है, जिससे अब प्रदेश के उन परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 हजार से 3 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु स्कीम

साप्ताहिक सूचना पत्र

के 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों के निशुल्क तथा 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों से 1500 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष अंशदान लेकर नागरिकों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के 70 लाख परिवारों में से 38 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों की मांग को स्वीकार करते हुए उनके मासिक वेतन को बढ़ाकर 11 हजार रुपये किया है और ग्रामीण चौकीदारों की आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।

इसके साथ ही ग्रामीण चौकीदारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृति पर एकमुश्त 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने नौकरियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया है।

इतना ही नहीं, प्रदेश के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पात्र लोगों को मौके पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। इन मेलों में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार शुरू करने या अन्य कार्य के लिए ऋण मुहैया करवाया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की नीतियों और योजनाओं की कार्यशैली का सरलीकरण किया गया है, जिसके कारण आज प्रदेश सरकार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है।

सेवा साधना केंद्र पट्टीकलियाना

(दिनांक 12.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानीपत के समालखा स्थित सेवा साधना केंद्र पट्टीकलियाना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में गरीबों के सिर पर छत प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत 1 लाख गरीब लोगों को मकान दिए जाएंगे। स्वामित्व योजना के तहत गांव में लाल डोरा मुक्त कर लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया गया है। शहरों में भी 4 हजार लोगों ने शहरी स्वामित्व योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा, सरकार ने 450 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है तथा 400 और ऐसी कॉलोनियों को आगामी 2 माह में नियमित किया जाएगा।

हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता से लेकर छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, आवास योजना इत्यादि योजनाओं के माध्यम से नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की, जिसकी मदद से पीले राशन कार्ड व पेंशन जैसी सुविधाएं लोगों को घर बैठे ही मिल रही हैं। वर्तमान सरकार ने नौकरियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई।

उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी की बैठक

(दिनांक 13.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष ठेकेदारों के साथ विभागों के प्रभारी मंत्री व प्रशासनिक सचिवों की उपस्थिति में आज 14 परियोजनाओं की खरीद व कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपये की बचत करवाई। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 वर्षों से जबसे मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग का प्रभार संभाला है तबसे वे एल–1 व एल–2 ठेकेदारों को उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष बुलाते हैं और निविदा में दिए गए एल–1 रेट पर मोलभाव कर कम करवाते हैं। आज जिन परियोजनाओं के निविदाओं को कमेटी ने अंतिम रूप दिया है उनमें भिवानी में चरखी दादरी रोड पर लगाए गए मल–जल शोधन सयंत्र के उपचारित पानी को हालुवास, पहलादगढ़, निमड़ीवाली, ढाणा नरसान, अजीतपुरा, गौरीपुर, ढाणा लाडनपुर गांव में सिंचाई उद्देश्यों के

लिए उपयोग की 69.91 करोड़ रूपये की परियोजना, पुलिस लाइन करनाल में तीन मंजिली मकानों के निर्माण के 29.91 करोड़ रुपये की, फरीदाबाद व गुरुग्राम में बिजली संप्रेषण लाइन बिछाने की 31.04 करोड़ रुपये की, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 33 केवी के सात सब–स्टेशन के निर्माण की 55.8 करोड़ रुपये की परियोजना तथा 110.52 करोड़ रुपये की सब–स्टेशनों के क्षमता बढ़ाने की रतिया में नहरी पानी आधारित जल घर के निर्माण की 48.02 करोड़ रुपये की, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार चरण–2 के टैक्सी–ट्रैक के साथ पानी निकासी व अन्य सिविल कार्यों के लोक निर्माण विभाग की 53.25 करोड़ रुपये की तथा अंबाला छावनी में वॉर मेमोरियल में लोक निर्माण विभाग की 147.33 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।

इसी प्रकार बैठक में विभागीय अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी की जिन परियोजनाओं के लिए निविदाओं को

अंतिम रूप दिया गया उनमें सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की 15 लाख वर्ग फुट की वाल पेंटिंग व वाल राइटिंग की परियोजना, महिला व बाल विकास की आंगनबाड़ियों में स्मार्ट फोन देने की तथा पुलिस स्वास्थ्य अध्यापक परिवहन व अन्य विभागों के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को नैतिक शिक्षा की हिपा की कर्मयोगी परियोजना शामिल है।

प्रेस वार्ता को संबोधित करना

(दिनांक 13.09.2023)

प्रभाव :माननीय मुख्यमंत्री जी यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा कि बारिश व बाढ़ तथा दंगों में संपत्ति, पशुधन या मानव हानि के नुकसान की भारपाई हेतु सरकार ने ई–क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लॉन्च किया। नुकसान का ब्यौरा के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन होने के बाद निर्धारित मानदंडों के अनुसार, डी.बी.टी. के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जुलाई, 2023 के दौरान भारी बारिश व बाढ़ के कारण धान की दोबारा बिजाई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 7000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देगी। सरकार ने मेरा पानी दृ मेरी विरासत योजना भी चला रखी है,

जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसलिए बारिश व बाढ़ के कारण जिन किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है और उन्होंने धान के स्थान पर दोबारा किसी अन्य फसल की बिजाई की है, उन्हें इस योजना के तहत राशि दी जाएगी। सरकार ने मेरा पानी–मेरी विरासत योजना के तहत किसानों से अपील की है कि वे धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करें, ताकि जल संरक्षण हो सके। यह योजना स्वैच्छिक है और सरकार ने हर साल 1 लाख एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य रखा हुआ है।

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बाजरे के भाव पर सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, उसके अनुसार प्रदेश सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को पैसा देगी। पहले भी सरकार ने किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये तथा 450 रुपये भावांतर दिया है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की एमएसपी पर खरीद की अनुमति प्रदान कर दी है।

गरीब व जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक लाख मकान या प्लाट दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने आज इस योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर वे सभी गरीब परिवार घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरु की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव को देखते हुए हमने प्रेरणा ली है और यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इसी संकल्प के तहत मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल शुरू किया गया है। इस योजना में पंचकूला, गुरुग्राम, सोनीपत और

फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे। जबकि अन्य शहरों में प्लॉट व फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इतना ही नहीं, आवास निर्माण में अति आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रो–एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर, पी.पी.पी. में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर, अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। वर्तमान में 34 लाख से अधिक परिवारों के जाति विवरण को पी.पी.पी. में सत्यापित किया गया है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लाभार्थियों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। अब तक लगभग 1.7 लाख वृद्धों, 13 हजार दिव्यांगों को घर बैठे पेंशन दी जा चुकी है। पीपीपी की सहायता से एक क्लिक से हम प्रदेश में साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए और कुल 35 लाख बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाने में सफल हुए हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 56 लाख 46 हजार चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर आयुष्मान–चिरायु कार्डों की संख्या 86 लाख गई है। साथ ही, निरोगी

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा योजना में प्रदेश के 27 लाख से अधिक गरीबों के 1 करोड़ 50 लाख मुफ्त टैस्ट भी पी.पी.पी. के डेटा की मदद से किये गये हैं।

सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक–वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), ऐसे परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए 563 लाभार्थियों को 12.38 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई।

इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले 223 लाभार्थियों के खातों में 6 करोड़ रुपये की राशि डाली गई थी।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भू–मालिकों की सहमति से सरकारी परियोजनाओं के विकास के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाने हेतु आज नए ई–भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तरीके से भू–मालिकों की सहमति से जमीन की खरीद करना है। अब किसानों के अलावा एग्रीगेटर्स भी इस पोर्टल पर जमीन देने की पेशकश कर सकेंगे। नये पोर्टल पर जमीन की पेशकश 6 माह तक मान्य रहेगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफ़ोन वितरित करने की दी अनुमति

(दिनांक 15.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौनिहालों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 28,484 स्मार्ट फोन खरीदे जाएंगे जिसके 28 करोड़ 19 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

अगले तीन महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा करते हुए कार्यकर्ताओं को फोन दे दिए जाएंगे। हम डिजिटलाइजेशन का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। विभाग की ओर से स्मार्ट फोन चलाने के लिए 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

फोन के लिए सिम और रिचार्ज सरकार की ओर से ही उपलब्ध करवाया जाएगा। फोन के अंदर पोषण ट्रैकर एप व बाल संवर्धन एप मौजूद होंगी। इन एप के ज़रिए नौनिहालों की स्थिति पर नजर रहेगी।

नवजात शिशुओं से लेकर छह साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं से लेकर दूध पिलाने वाली माताओं तक का सारा डाटा पोषण ट्रैकर एप पर मिलेगा।

पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों की भी मैपिंग की जा रही है। वहीं बाल संवर्धन एप से जीरो से पांच साल तक के बच्चों के कुपोषण की जांच की जा रही है।

जन संवाद पोर्टल के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक

(दिनांक 15.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जनसंवाद पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं व मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। इसी कड़ी में 2 अप्रैल से शुरू किया गया जन संवाद कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जनमानस की शिकायतों/मांगों पर गंभीरता से कार्य करें और शिकायतों का समाधान करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही हर अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं

का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं या लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी करनी हो या कानून में भी कोई संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जन संवाद पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों व मांगों के समाधान होने पर प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति को कन्फर्मेशन सेल द्वारा कॉल करके पूछा जाता है कि क्या वह समाधान से संतुष्ट है या नहीं, इसलिए कोई भी अधिकारी व कर्मचारी गलत तरीके से किसी भी प्रतिवेदन का समाधान न करे।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर शिकायत व मांग दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को उसकी सूचना एसएमएस

के माध्यम से चली जाती है। इसके बाद संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस के द्वारा नागरिकों को भेजी जाती है। सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी नियमित अंतराल पर जन संवाद पोर्टल को चेक करें और समीक्षा करें कि उनके विभागों में दर्ज कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, खेल स्टेडियम स्थापित करना इत्यादि कार्य जो प्रदेशभर में होने वाले हैं, उनकी विभाग अलग से मैपिंग करवाएं, ताकि जरूरत के अनुसार उन्हें विकसित किया जा सके।

साप्ताहिक सूचना पत्र

बार एसोसिएशन सिरसा

(दिनांक 16.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शनिवार को बार एसोसिएशन सिरसा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वकीलों से आह्वान किया है कि वे पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आएं। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, इसका दायित्व निभाते हुए अधिवक्ता निष्ठा भाव से कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार एसोसिएशन की मांग पर बार एसोसिएशन में क्रेच की व्यवस्था करने सहित दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए 31 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बार एसोसिएशन सिरसा के 50 वर्ष से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और

साप्ताहिक सूचना पत्र

मीडिया की अपनी एक भूमिका है, ये सभी स्तंभ एक दूसरे के पूरक हैं। विधानपालिका लोगों के हित में कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका उस कानून का विश्लेषण करती है। उन्होंने कहा कि वकालत करने के नाते अधिवक्ता एक समाजसेवा का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को चाहिए कि जिनके पास न्याय प्राप्त करने के साधन नहीं है और वे न्याय से वंचित हो रहे हैं तो ऐसे पीड़ितों की अधिवक्ताओं को चिंता करनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को फीस के बिना भी गरीबों के लिए भी केस लड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वंचितों और पीड़ितों के साथ न्याय हो। कानून का राज और न्याय दिलवाने में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा के साथ–साथ लोगों के न्याय के अनुरूप उनका हक दिलवाना अधिवक्ता का पहला परम कर्तव्य है। उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने इस दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान अधिवक्ता गणेश सेठी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और बार एसोसिएशन की मांगों के बारे में अवगत करवाया।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा किया संवाद

(दिनांक 16.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज सिरसा से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि वे वर्तमान दौर में अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का अत्यधिक उपयोग करते हुए एक सफल उद्यमी के तौर पर स्वयं को स्थापित करें।

उन्होंने कहा कि आज भारतीय इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवोल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफार्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पीने की चीज खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता तलाश करते हैं। इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग भी डिजिटल मंच का उपयोग कर अपने उत्पाद सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। देश में वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग 26 लाख करोड़ रुपए का था जो अगले 3 वर्षो में बढ़कर 35 लाख करोड़

रुपये तक होने की उम्मीद है। इसलिए इस उद्योग में निवेश व विकास की व्यापक संभावनाएं है। उन्होंने सभी उद्यमियों का कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नए आयाम देने के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुडे लोगों ने उद्योग लगाकर न केवल हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में, बल्कि रोजगार बढाने सहित लाखों किसानों की आय बढाने में भी योगदान दिया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए ऐसे सभी उद्यमियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे एमएसएमई का लाभ उठाकर अपने उद्योग को तेजी से आगे बढाएं। साथ ही हरियाणा प्रदेश द्वारा उद्यम एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के भी लाभ उठाए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 6 लाख 44 हजार 544 उद्यम पंजीकरण प्रमाणित एम.एस.एम.ई. हैं। इनमें से 27 हजार 370 एम.एस.एम.ई. पंजीकृत हैं। फूड फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के रूप में एम.एस.एम.ई. पॉलिसी व एचईईपी–2020 के तहत कुल 4860 इकाइयों ने विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से 1501 इकाइयों को लाभ वितरित किए जा चुके हैं तथा 719 इकाइयों को लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास हेतू अपने सुझाव साझा करते हुए कहा कि फूड प्रोसेसिंग उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि हमारा उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। साथ ही, फूड प्रोसेसिंग के दौरान कृत्रिम प्रिजर्वेटिव का न्यूनतम प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उत्पादों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक करने की योजना पर काम कर रही है ताकि हमारे कर्मठ उद्यमियों अपने उत्पाद को विदेशों में भी बेच सके।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन

(दिनांक 16.09.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज शनिवार को चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद करते हुये सिरसा शहर की गलियों के सर्वे करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी सर्वे का काम करेगी और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सिरसा शहर में पानी की सप्लाई और सीवरेज डालने के उपरांत गली के खराब होने की शिकायत आई थी। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संज्ञान लिया और सर्वे के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सिरसा जिला में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और पानी निकासी के लिए सीवरेज को दुरुस्त करने पर करोड़ों

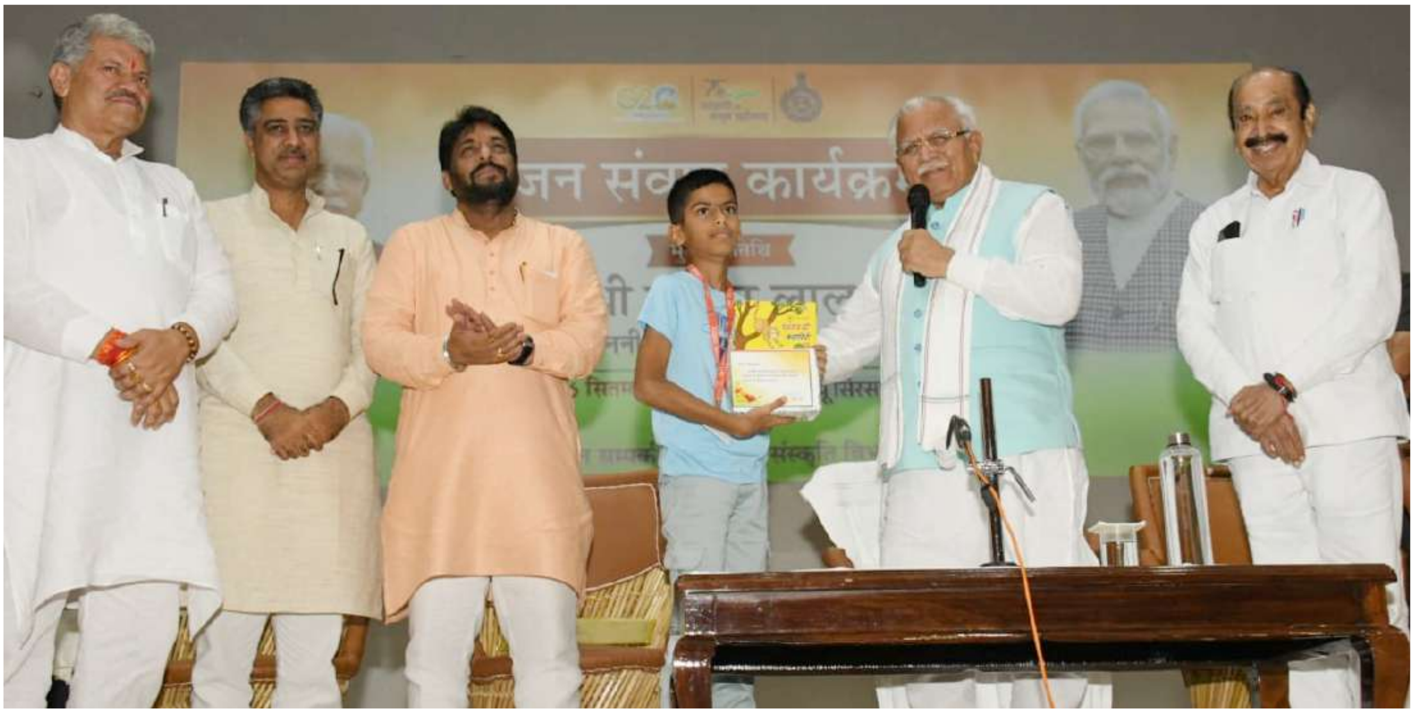

साप्ताहिक सूचना पत्र

रुपये की राशि खर्च की गई है। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने रेडक्रॉस द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राइसाइकिल भी वितरित की।

उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है जिसके तहत गरीब लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया हो रहा है। सिरसा शहर में इस योजना के तहत 39 हजार 840 कार्ड बनाए जा चुके हैं और 3996 लोगों का उपचार किया गया है, उनके इलाज पर 11 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च हुए हैं, जो सरकार ने वहन किए हैं। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरुप कार्यों में पारदर्शिता के साथ–साथ तीव्रता आई है और योग्य लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर आबादी अनुसार गांवों और शहरों में सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए ग्रांट दी जाती है। सिरसा शहर में परिवार पहचान पत्र के तहत 56 हजार 615 परिवार हैं, जिनकी आबादी 2 लाख 7

हजार 140 है।

जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाले 12 बुजुर्गों को मौके पर ही पेंशन बनवा कर उनको पेंशन कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आयु के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रार्थी की स्वतरू ही पेंशन बन रही है। सिरसा शहर में स्वतरू ही पेंशन बनाने वालों का आंकड़ा 534 है। उन्होंने कहा कि सिरसा शहर में 19 हजार 649 नागरिक विभिन्न प्रकार की बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग और विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता बनाने के साथ ही सरकार ने भ्रष्टाचार और बिचोलिया सिस्टम को समाप्त करने का काम किया। नया पारदर्शी सिस्टम लागू किया गया, योग्य युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही है।

सिरसा शहर में भी पिछले 8 वर्षों में 497 लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली है। उन्होंने कहा कि

साप्ताहिक सूचना पत्र

व्यवस्था परिवर्तन में एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने अध्यापकों के तबादलों के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत अध्यापकों को उनके मनपसंद स्टेशन मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें शहर में एक प्लेटफार्म दिया जाएगा। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे शहर में एक या दो एकड़ भूमि चिन्हित करके सांझा बाजार बनाएं और इनमें 50 से 100 पोटा केबिन बनवाएं। ये पोटा केबिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्पाद की बिक्री के लिए दिए जाएंगे।